



पत्रांक .....196.....

## प्रथम औपबंधिक चयन सूची की सूचना

निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना के ज्ञापांक 335 (मि०को०) दिनांक 23.08.2021 एवं पत्रांक 274 दिनांक 29.07.2021 के आलोक में पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण डी०एल०एड० (फेस टू फेस) सत्र 2021-23 के निर्धारित 150 सीटों के विरुद्ध प्रथम चयन सूची (विज्ञान एवं कला/वाणिज्य/उर्दू) संस्थान के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घटक है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 20.10.2021 से 22.10.2021 तक कार्यालय के अवधि में प्रातः 10 बजे से शाम 04 बजे तक निम्न प्रमाण पत्र एवं कागजातों के साथ संस्थान में औपबंधिक नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिंट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत उन्हें पेमेंट करने के लिए खाता संख्या एवं IFSC CODE उपलब्ध कराया जाएगा एवं अभ्यर्थी को औपबंधिक नामांकन के लिए निर्धारित तिथि के अंदर नामांकन शुल्क जमा अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही उनके औपबंधिक नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।  
नोट :- निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 274 दिनांक 29.07.2021 के निदेशानुसार उम्र की गणना 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर होगी, चूंकि नामांकन सत्र 2021-23 के लिए लिया जा रहा है इसलिए 01 जनवरी 2021 तक न्यूनतम निर्धारित अहर्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही नामांकन लिया जायगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किया गया डाटा एवं मूल अभिलेख में विसंगति एवं भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक का नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जायगा।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण-पत्रों एवं प्रविष्टि शर्तों के साथ उपस्थित होंगे -

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति
2. मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (सभी मूलप्रति)
3. इंटर परीक्षा का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (सभी मूलप्रति)
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र।
7. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ रु०) एवं SC/ST/दिव्यांग के लिए रु० 7000.00 (सात हजार) रु० का भुगतान ऑनलाइन होगा।
8. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
9. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
11. स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र (रजिस्टर्ड चिकिस्तक के द्वारा)
12. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अद्यतन। (मूल प्रति)
13. शपथ-पत्र लेख्य साक्ष्य प्रमाणक (नोटरी) या कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत।
14. SBI Collect Payment Fee Receipt Copy

नोट:- सभी मूल प्रमाण पत्र एवं विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मूल प्रति में औपबंधिक नामांकन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में औपबंधिक नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।  
उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

9/10/21

09.10.2021

09/10/21  
प्राचार्य  
डाइट, बांका।  
09.10.2021